न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

वीरसिंह तनय श्री रतन सिंह यादव
निवासी ग्राम दौउवनटोला तह. देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना .....निगरानीकर्ता

विरूद्व

शकुन्तला पुत्री श्री सकूरा दौवा
निवासी ग्राम दौउवनटोला तह. देवेन्द्रनगर
जिला पन्ना .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 56/अपील/अ–6/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 27/10/16 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा राजापुर स्थित भूमि खसरा क्र 1023, 1024, 1025 रकवा क्रमशः 0.240, 0.160, 0.210 हे कुल रकवा 0.810 हे भूमि स्व. शकूरा तनय बल्देवसिंह के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि थी जिसे उनके द्वारा अपने जीवनकाल में निगरानीकर्ता की सेवा से खुश होकर प्रसन्न चित होकर गवाहों के समक्ष उक्त भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 24/8/1992 निगरानीकर्ता के पक्ष में निष्पादित किया गया जिसके आधार पर शकूरा का दिनांक 1/6/15 को स्वर्गवास उपरांत निगरानकर्ता द्वारा एक आवेदन पत्र वादग्रस्त भूमि पर उसका नाम दर्ज किए जाने हेतु तहसीलदार देवेन्द्रनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे तहसीलदार द्वारा विधि विपरीत तरीके से निरस्त कर दिया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसे भी अनुविभागीय अधिकारी पन्ना द्वारा सरसरे तौर पर निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

(निलेन्दु सिंघई
एड०
94251-71223
7000853503)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4088-एक/2016 जिला पन्ना वीरसिंह विरूद्ध शकुन्तला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-10-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-11-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर पन्ना के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

4.1.19

	के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	